व्यवहार न्यायालय, सीवान

न्यायालय रामायन राम, अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, सीवान

दिनांक 22.01.2020

निगरानी वाद सं. 16/2017

प्रस्तुत आपराधिक पुनः निरीक्षण की ओर से वाद सं. 16/17 आवेदक सुदामा सिंह की ओर से अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महाराजगंज न्यायालय से पारित आवेदन दिनांक 07.12.2016 से असंतुष्ट होकर दाखिल किया गया है।

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त सारांश यह है कि विवादित जमीन जिसका घेरा 02 कटठा 03 धुर, खाता सं. 65 सर्वे सं. 672 जो पूरे 06 कटठा 02 धुर में बीच का भाग है वो साकिन सोहपुर टोला सीपार, थाना तथा अंचल, भगवानपुर हाट, जिला सिवान के अंतर्गत स्थित है। अतः जमीन सुदामा सिंह प्रथम पक्ष/निगरानीकर्ता तथा श्रीमती मीरा देवी वगैरह द्वितीय पक्ष के बीच विवादित है।

अतः विवादित भूमि पर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महाराजगंज न्यायालय द्वारा 144 द.प्र.स. आदेश के कानूनी बिन्दुओं का अवलोकन मो. वाद सं. 842/2016 में शांति–व्यवस्था दिनांक 07.12.2016 को पारित बनाये रखने वास्ते आदेश किया गया है।

उक्त आदेशित धारा 144 भा.द.वि. के संबंध में आवेदक/निगरानीकर्ता का कहना है कि 1. उक्त न्यायालय से पारित धारा 144 द.प्र.स. पारित धारा 144 द.प्र.स. आदेश के कानूनी बिन्दुओं का अवलोकन करना न्यायहित में आवश्यक है। पारित धारा 144 द.प्र.स. किसी की न्यायिक दृष्टिकोण से सुसंगत नहीं है। मो. वाद सं. 842/2016 के सुनवाई के क्रम में दाखिल कागजातों का न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत अवलोकन नहीं किया गया है। यह खतियानी भूमि है तथा शांतिपूर्वक उक्त भूमि आदेश के कब्जा में वर्षों से रहते

चला आ रहा है। उक्त भूमि पर 144 द.प्र.स. लागू होने के कारण आवेदक/निगरानीकर्ता को अपूर्णीय क्षति हो रहा है।

अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि यह निगरानी वाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीवान के न्यायालय से दिनांक 06.04.2017 को स्थानांतरित होकर विचारण तथा निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ है। कई तिथि बीत जाने के बावजूद भी उभय पक्ष इस न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। आवेदक/निगरानीकर्ता को सुनवाई करने वास्ते न्यायालय में उपस्थित रहने वास्ते निर्देश दिया गया है, किन्तु आज भी अनुपस्थित हैं जिससे विदित होता है कि उभय पक्ष को प्रस्तुत वाद में कोई अभिरुचि नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में अभिलेख को अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के गुण–दोष के आधार पर निष्पादित करना आवश्यक प्रतीत होता है।

अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि दिनांक 24.08.2016 को आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, महाराजगंज में एक में एम–842/2016 पंजीबद्ध कर उक्त विवादित भूमि पर तनाव तथा शांतिभंग होने की संभावना व्यक्त करते हुए दोनों पक्ष के विरुद्ध धारा 144 द.प्र.स. की प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया गया है। उक्त विवादित भूमि पर दोनों पक्ष को जाने से प्रतिबंधित किया गया है तथा दोनों पक्ष के विरुद्ध दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्ष को सुना गया। दिनांक 07.12.16 को आदेश पारित किया गया है। उक्त पारित आदेश का सारांश यह है कि यह प्रक्रिया प्रथम पक्ष के आवेदन पर संतुष्ट होकर प्रारम्भ किया गया है। उभय पक्ष का कारण पृच्छा प्राप्त है, विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रथम पक्ष का कथन है कि विवादित भूमि प्रथम पक्ष एवं विपक्षी का खतियानी भूमि है। यह भूमि प्रथम पक्ष को माननीय उच्च न्यायालय में दायर सिविल वाद के संधि–पत्र के आधार पर आपसी बंटवारा से प्राप्त है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि बैनामा द्वारा उन्हें प्राप्त है। द्वितीय पक्ष ने बैनामा दिनांक 12.04.2016 को श्री हरेन्द्र सिंह से करवाया है जो उनके दखल कब्जा की भूमि थी। श्री हरेन्द्र सिंह को यह भूमि आपसी बंटवारा में प्राप्त हुआ था।

<u>आदेश</u>

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह भूमि द्वितीय पक्ष का निबंधित दस्तावेज से प्राप्त है जिसे प्रथम पक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्य आधार तथा निम्न न्यायालय से पारित आदेश के अवलोकन पश्चात् प्रस्तुत पुनः निरीक्षण वाद को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय, महाराजगंज, जिला सिवान से पारित आदेश दिनांक 07.12.2016 के आदेश को अपास्त किया जाता है।

कार्यालय पारित इस आदेश की एक प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महाराजगंज न्यायालय को शीघ्र वापस करें।

(रामायन राम)
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ
व्यवहार न्यायालय, सीवान।
दिनांक 22.01.2020